सं. FD-32/299/HR **दिनांक- 16 दिसम्बर, 2022**

ट्रेड परिपत्र

विषय: आयातकों/ निर्यातकों को पोत संबंधी शुल्क के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ।

एसएमपी कोलकाता को आयतकों/ निर्यातकों द्वारा अपने पोत संबंधी शुल्क सीधे पोर्ट को भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है ।

2. उक्त मामले पर अनुकूल विचार करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के बोर्ड द्वारा यह अनुमोदन दिया गया है कि एकल आयातक/ निर्यातक का कार्गो वहन करने वाले जहाज के मामले में, पोत संबंधी शुल्क (वीआरसी) का भुगतान आयातक/ निर्यातक द्वारा भी किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें जहाज के मालिक/ एजेंट द्वारा प्राधिकृत किया गया हो । तथापि, जहाज के मालिक द्वारा ऐसे किसी प्राधिकरण के बावजूद, पोर्ट सम्पति का हर्जाना सहित पोर्ट को जहाज संबंधी बकाया का भुगतान करने की पूरी जिम्मेदारी जहाज के मालिक/ स्टीमर एजेंट की होगी ।

3. उक्त संदर्भ में, एसओआर के सामान्य मूल्यांकन सिद्धांतों के मौजूदा खंड (क्लॉज) 3(vi)(ए) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

"पोत मालिक/ स्टीमर एजेंट से पोत संबंधी शुल्क वसूल किया जाएगा । एकल आयातक/ निर्यातक का कार्गो वहन करने वाले जहाज के मामले में, पोत संबंधी शुल्क का भुगतान आयातक/ निर्यातक द्वारा तभी किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें जहाज के मालिक/ एजेंट द्वारा प्राधिकृत किया गया हो । तथापि, जहाज के मालिक द्वारा ऐसे किसी प्राधिकरण के बावजूद पोर्ट सम्पति का हर्जाना सहित पोर्ट को जहाज संबंधी बकाया का भुगतान करने की पूरी जिम्मेदारी जहाज के मालिक/ स्टीमर एजेंट की होगी ।

4. उक्त व्यवस्था की स्थिति में, संबंधित आयातक/ निर्यातक को पोर्ट से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन- निर्धारित आवश्यक सभी दस्तावेज, जहाज के मालिक/ स्टीमर एजेंट से उक्त जहाज के पोत संबंधी शुल्क के भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकरण पत्र सहित करना होगा । साथ ही, उन्हें पोर्ट से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की हार्ड कॉपी लेने की व्यवस्था करनी होगी और इसे सीमा शुल्क प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर उनसे 'पोर्ट क्लीयरेंस' लेना होगा, तथा उक्त क्लीयरेंस को डॉक पायलट/पायलटों को प्रस्तुत करना होगा । तटीय जहाजों के मामले में, वर्तमान में उक्त 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' पायलटों को जमा करना होगा । पोत मालिक/ स्टीमर एजेंट द्वारा जारी किए जाने वाले प्राधिकरण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

5. संबंधित आयातकों/निर्यातकों को पोर्ट से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने के लिए केडीएस एवं एचडीसी हेतु उनके द्वारा अलग-अलग अनुरक्षित रिवॉल्विंग डिपॉजिट खाता (जहाज हेतु पीसीएएन खाता) के माध्यम से सभी पोत संबंधी अपेक्षित शुल्कों का अग्रिम भुगतान करना होगा।

6. उपरोक्त एसएमपी कोलकाता के सभी संबंधित आयातकों/निर्यातकों के सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु ।

अभिजित गुप्ता

अभिजीत गुप्ता
महाप्रबंधक (वित्त)

संलग्न: पोत मालिक/ स्टीमर एजेंट द्वारा जारी किए जाने वाले प्राधिकरण पत्र का प्रारूप ।